



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112020-223259
CG-DL-E-23112020-223259

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3679]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2020/ अग्रहायण 2, 1942

No. 3679]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2020/AGRAHAYANA 2, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

का.आ. 4181(अ).—भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का. आ. 2334(अ), दिनांकित 25 अगस्त, 2015 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के तहत जारी, केंद्र सरकार ने पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 254 के खंड को पंजाब राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित (जो इसके आगे “नियम” के रूप में उल्लिखित है) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 254 के डिजाइन किमी 82.400 से किमी 132.300 (मौजूदा किमी 82.400 से किमी 132.300) तक के रामपुरा-मौर-तलवंडी-रमन मंडी खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 6.102 किमी लंबाई की निवल सड़क खंड के लिए आधार दर के 100% और 43.2316 किमी लंबाई की निवल सड़क खंड और 5.664 किमी (0.5664 किमी लंबाई वाली) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मी से अधिक लंबाई वाले) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60 प्रतिशत पर यांत्रिक वाहनों से फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत की जाने वाली फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है
पंजाब राज्य के भटिंडा जिले में शेखपुरा गांव के निकट रारा-254 के किमी/चैनेज 117.200 पर	6.102 कि.मी. (बाईपास की लंबाई (लागत > 10 करोड़ रु.) और संरचनाओं की लंबाई (> 60 मीटर) को छोड़कर	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का चार या अधिक लेन के लिए 100%
	43.2316 किमी (बाईपास की लंबाई (लागत > 10 करोड़ रु.) और संरचनाओं की लंबाई (> 60 मीटर) को छोड़कर	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का पेव्ड शोल्डरों सहित दो लेन के लिए 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित फीस प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका 3

शुल्क प्लाजा का अवस्थान(चैनेज)	सड़क की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	सड़क की समकक्ष लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
पंजाब राज्य के जिला भटिंडा में शेखपुरा गांव के पास रारा-254 के किमी/चैनेज 117.200 पर	0.5664 [^]	5.664	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का पेव्ड शोल्डरों सहित दो लेन के लिए 60%

[^]व्यौरा निम्नानुसार है:-

चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
किमी यहां से	किमी यहां तक		
104.7196	105.2860	आरओबी	0.5664 किमी
कुल			0.5664 किमी

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2020-21 के लिए 275.00 रु. (दो सौ पचहत्तर रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।
4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्-

तालिका 4

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।
6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।
7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 267.776 करोड़ रु. है। [भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अधीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा]। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच/12014/1074/2016/पीबी/एनएच-1/जोन-II (पार्टे)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd November, 2020

S.O. 4181(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways (number S.O. 2334(E) dated the 25th August 2015 issued under Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch of National Highway No. 254 in the state of Punjab to State Government of Punjab;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 at 100% of the base rate for net road section length of 6.102 km (for the use of four and more lane section) and at 60% of base rate for net road length of 43.2316 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 5.664 km (having length of 0.5664 km) for the use of two lane with paved shoulders on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Rampura-Maur-Talwandi-Raman Mandi section from design kilometer 82.400 to kilometer 132.300 (existing km 82.400 to km 132.300) of National Highway number 254 in the State of Punjab and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 117.200 of NH-254 near village Shekhpura in Bathinda district of State Punjab	6.102 km (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	43.2316 km (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:—

Table 3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 117.200 of NH-254 near village Shekhpura in Bathinda district of State Punjab	0.5664 [^]	5.664	60% for two lane with paved shoulders of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]The details are as under: -

Chainage		Type of Structure	Length (in km)
From km	To km		
104.7196	105.2860	ROB	0.5664 km
Total			0.5664 km

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 275.00 (Rupees Two Hundred Seventy-Five only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.
4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
10. The estimated capital cost of the project is Rupees 267.776 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RW/NH-12014/1074/2016/PB/NH-1/Zone-II (Part)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.